आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम–126)

आदेश पत्रक ता0 :– .... से – .... तक

जिला :– राढ़वा .... सं0 – 741 सन् 2016 – 2017

केश का प्रकार :– सीमांकन के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
8.2.17	श्री/ती संगीता कुमारी वल्द श्री विरेन्द्र कुमार ग्राम सदिप्पना पोस्ट राढ़वा थाना राढ़वा जिला राढ़वा ने अपने भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसका विवरण निम्नवत है:– भूमि का विवरण ग्राम – सदिप्पना; खाता सं0 – 186; प्लौट सं0 – 04; रकबा – 0.17.20 हल्का कर्मचारी/अंचल अमीन उक्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन दें कि प्रश्नागत भूमि किसकी है तथा मापी हेतु कितना समय लगेगा ताकि मापी शुल्क जमा कराया जा सके। 8/2 अंचल पदा0 राढ़वा	
17/2/17	अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी / अंचल अमीन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। तदनुरूप आवेदक को मापी शुल्क के रूप में मो0 1200/– /रू. जमा करने का आदेश दिया जाता है। अंचल नाजीर उक्त राशि की जमा का नाजीर रसीद निर्गत करें। साथ ही अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि का सीमांकन करके दिनांक .... तक अपना प्रतिवेदन दें। अपने स्तर से सभी पक्षों को अवगत करा दें। 17/2 अंचल पदा0 राढ़वा	N.R. No. 168931– मो0 1200 रू. (एक हजार दो सौ) प्राप्त किया [illegible]

11.3.19

अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अमीन से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त है।

जिसमें उल्लेख है कि आवेदिका ~~सं~~ ~~संगीता देवी~~ का भूमि पर वर्तमान दखल-कब्जा नहीं है।

आवेदिका दखल-कब्जा का निर्धारण हेतु व्यावहार न्यायालय जा सकते हैं।

अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

11.3.19

अंचल अधिकारी
गढ़वा।